न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./6207/2006/बारां

1– सोभाराम पुत्र मोतीलाल जाति मीना निवासी मुसेन माताजी नाबालिग जरिये वली भाई रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल जाति मीणा निवासी मुसेन माताजी तहसील अटरू जिला बारां
2– रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल जाति मीना निवासी मुसेन माताजी तहसील अटरू जिला बारां

.....अपीलार्थी

बनाम

लाडू पुत्र किशन जाति कंडारा निवासी ग्राम मुसेन माताजी तहसील अटरू जिला बारां

.....प्रत्यर्थी

खण्ड–पीठ
श्री खजान सिंह, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः
श्री मुकेश जैन अधिवक्ता प्रार्थी
श्री अशोक नाथ योगी अधिवक्ता अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः मई, 2022

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 164/2003 में पारित निर्णय दिनांक 20–7–2006 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी लाडू ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक वाद बाबत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर, अटरू के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 179 रकबा 0.09 हैक्टेयर, 181 रकबा 1.17 है0, 353 रकबा 0.12 है0 कुल किता 3 रकबा 1.38 हेक्टैयर ग्राम मुसेन माताजी में स्थित है। उक्त भूमि वादी को आवंटित हुई थी, तभी से वह इस आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने जबरन आराजी खसरा नंबर 253 की 0.12 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया है। वादी ने उक्त भूमि की पैमाइश भी करवा ली है परन्तु फिर भी अपीलार्थीगण कब्जा छोड़ नहीं रहे हैं। अतः खसरा नंबर 253 की 0.12 हैक्टेयर भूमि से अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण का कब्जा हटाने जाने के आदेश प्रदान करें। प्रतिवादी ने जवाबदावा मय

काउण्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि अपीलार्थी करीब 35 वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अतः वाद कथनों से इन्कार करते हुए कथन किया कि इतनी लम्बी अवधि से हमारा कब्जा होने के कारण हमें विवादित भूमि पर विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। अतः वाद पत्र खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उप जिला कलक्टर, अटरू ने अपने निर्णय दिनांक 18–7–2003 द्वारा तनकीवार निर्णित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार किया तथा विवादित आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाये जाने का आदेश दिया। साथ ही प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा से समक्ष प्रथम अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20–7–2006 द्वारा अपील अपीलार्थीगण खारिज की है। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का कथन है कि विवादित आराजी पर अपीलार्थी एवं उसके पिता का कब्जा प्रत्यर्थी द्वारा वाद दायर करने के 12 वर्ष पूर्व से ही चला आ रहा था। ऐसी स्थिति में वादी/प्रत्यर्थी का वाद मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किया जाना चाहिए। विवादित आराजी अपीलार्थी के खाते से लगती हुई है जिसके दोनों तरफ अपीलार्थी के खाते की आराजी है तथा उक्त भूमि छोटी पट्टी के रूप में अर्थात स्ट्रीप ऑफ लैण्ड में आती है इसलिए यह भूमि प्रत्यर्थी को कतई आवंटन नहीं की जा सकती। आवंटन के वक्त आवंटन अधिकारी द्वारा इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि उक्त भूमि के लिए अपीलार्थी के पिता द्वारा भी आवेदन किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्येक तनकी पर विश्लेषण करते हुए मैरिट पर निर्णय करना चाहिए था। उन्होंने तनकियों पर अपना कोई मत अभिव्यक्त नहीं किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। परीक्षण न्याायलय ने केवल मात्र जमाबंदी के आधार पर वाद डिक्री किया तथा काउण्टर क्लेम खारिज किया जबकि मियाद के बिन्दु पर ही वाद खारिज योग्य था। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय क्रमशः 20–7–2006 तथा 18–7–2003 खारिज फरमाये जावे।

4– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी का कथन है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनकर तद्परांत तनकियात बनाई गई तथा तनकियात पर भी विस्तृत विवेचना करने के बाद परीक्षण न्यायालय ने वाद वादीगण डिक्री किया है। परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं पक्षकारान की मौखिक साक्ष्य की विस्तृत विवेचना करते हुए निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बहाल रखने में ऐसी कोई विधिक भूल नहीं की है जिसमें द्वितीय अपील के जरिये हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावे।

5– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया

6– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थीगण/प्रतिवीदगण विवादित आराजी पर अपना कब्जा 35 वर्ष से बता रहे है परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों तथा हमारे समक्ष भी ऐसा काई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि विवादित आराजी पर उनका कब्जा है। परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 में भी इसका विवेचना विस्तृत रूप से की है कि खसरा नंबर 253 रकबा 0.12 हैक्टर पर प्रतिवादीगण अपना कब्जा होना सिद्ध नहीं कर पाये हैं।

7– परीक्षण न्यायालय के समक्ष बनाई गई तनकी संख्या 1 वादी के विवादित भूमि के आवंटन होने से ही कब्जा चले आने से संबंधित है जिसमें पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी संवत 2053 से 2055 में वादी लाडू का कब्जा सिद्ध होना पाया गया है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–2 के बयानों के आधार पर विवादित भूमि वादी को एलोट होने से उसका कब्जा होने एवं केवल 2–4 वर्ष से ही प्रतिवादीगण का कब्जा होना पाया गया है।

8– इसी प्रकार तनकी संख्या 2 भी सीमा ज्ञान कराने के बाद प्रतिवादी द्वारा कब्जा नहीं छोड़ने के संबंध में है जिसमें यही अंकित किया है कि पैमाइश बाबत गवाह पी.डब्ल्यू–2 ने बताया कि प्रतिवादी द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा किया है, भूमि वादी के खाते में दर्ज है, अतः वादी भूमि बेदखल करा पाने के अधिकारी है।

9– परीक्षण न्यायालय ने तीनों तनकियां वादी के पक्ष में निर्णित की है तथा खसरा नंबर 253 रकबा 0.12 हैक्टर ग्राम मूसेन माता तहसील अटरू पर प्रत्यर्थी/वादी का राजस्व रिकार्ड में कब्जा पाया है तथा उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण को अतिक्रमी पाते हुए तथा उनके द्वारा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा पाते हुए वाद वादी स्वीकार किया है तथा तहसीलदार, अटरू को उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण द्वारा वादी को दिलाये जाने के लिए निर्देशित किया है।

10– न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20–7–2006 में हालांकि तनकियों की विवेचना नहीं की है परन्तु अपने निष्कर्ष में यह स्पष्ट अंकित किया है कि विवादित भूमि की जमीन यदि अपीलार्थीगण के खेत से लगती हुई थी तथा वह रेस्पोडेंट/वादी को आवंटन कर दी गई तो तत्समय ही उन्हें इसके विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिए थी। इससे पूर्व यह भी आवश्यक था कि उक्त छोटी पट्टी की भूमि के आवंटन कराने के लिए आवंटन समिति के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश करना चाहिए था। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से ऐसी काई कार्यवाही किया जाना जाहिर नहीं होता है।

11– हमारे विनम्र मत में पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रकट हो कि अपीलार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा है अथवा उनके नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। केवल मात्र अपीलार्थीगण के कथनों पर विवादित भूमि की खातेदारी उनके हक में मानी नहीं की जा सकती। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार प्रतीत होता है। अतः दोनों

अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में हम ऐसी कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है जिसमें द्वितीय अपील के जरिये हस्तक्षेप किया जावे।

12– उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है तथा न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–7–2006 तथा उप जिला कलक्टर, अटरू का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–7–2003 बहाल रखे जाते हैं

13– निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस भेजी जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही पंजीबद्ध कार्यालय की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(खजान सिंह)
सदस्य